इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 329] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 जुलाई 2011—आषाढ़ 21, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2011

क्र. 15865 वि.स.-विधान-2011.— मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 20 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 12 जुलाई 2011 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २० सन् २०११

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

धारा १२९ का स्थापन.

२. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) की धारा १२९ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

पंचायतों की संपरीक्षा.

"१२९.(१) पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा की जाएगी और भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक पंचायतों की संपरीक्षा का तकनीकी मार्गदर्शन करेंगे तथा उसका पर्यवेक्षण करेंगे.

(२) पंचायतों की, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा की, वार्षिक संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो उक्त रिपोर्टों को विधान सभा के पटल पर रखवाएंगे.''.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) की धारा १२९ में यह उपबंध है कि पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन पृथक् एवं स्वतंत्र संपरीक्षा संगठन द्वारा की जाएगी. तदनुसार, राज्य में पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा की जा रही है.

२. तेरहवें वित्त आयोग ने, अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि पंचायत के लेखाओं की संपरीक्षा, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा की जानी चाहिए और भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा पंचायतों की संपरीक्षा का तकनीकी मार्गदर्शन और उसका पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए. तत्पश्चात पंचायतों की, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा की वार्षिक संपरीक्षा रिपोर्ट भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट के साथ विधान सभा के पटल पर रखी जानी चाहिए.

३. तेरहवें वित्त आयोग की उपरोक्त सिफारिशों की दृष्टि से, यह विनिश्चय किया गया है कि मूल अधिनियम की धारा १२९ में यथोचित संशोधन किया जाए.

४. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ६ जुलाई, २०११

गोपाल भार्गव
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 333] भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 जुलाई 2011—आषाढ़ 22, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2011

क्र. 4327-234-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 20 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 20 OF 2011.

THE MADHYA PRADESH PANCHAYAT RAJ AVAM GRAM SWARAJ (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2011.

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011.

Substitution of Section 129.

2. For Section 129 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the following Section shall be substituted, namely :—

"Audit of Panchayats.

"129. (1) The accounts of the Panchayats shall be audited by the Director, Local Fund Audit and the Comptroller and Auditor General of India shall give technical guidelines and supervision over the audit of Panchayats.

(2) The annual audit report of Director, Local Fund Audit on Panchayats along with the annual technical inspection report of the Comptroller and Auditor General of India shall be submitted to the Governor, who shall cause the said reports to be laid on the table of the Legislative assembly.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 129 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) provides that the accounts of Panchayats shall be audited by the separate and independent audit organisation under the control of the State Government. Accordingly the account of the Panchayats in the State is being audited by the Director, Local Fund Audit, Madhya Pradesh.

2. The 13th Finance Commission has recommended in its report that the accounts of the Panchayat should be audited by the Director, Local Fund Audit and the Comptroller and Auditor General of India should give technical guidelines and supervision over the audit of Panchayats. Thereafter the annual audit report of Director, Local Fund Audit on Panchayats along with the annual technical inspection report of the Comptroller and Auditor General of India should be laid on the table of the Legislative Assembly.

3. In view of the aforesaid recommendation of the 13th Finance commission, it has been decided to amend Section 129 of the principal Act suitable.

4. Hence this Bill.

BHOPAL :
DATED, the 6th July, 2011.

GOPAL BHARGAV
Member-in-charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.